साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

मनजीत सिंह रिर्सचर (राजनीति विज्ञान विभाग)
सैंट्रल यूनिर्वसिटी महेन्द्रगढ़

भारतीय संविधान के भाग–3 में (अनुच्छेद 12–35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये वे अधिकार है, जो व्यक्ति की भाारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आव यक समझे जाते है, और यह अनुभव किया जाता है कि इनके प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों की व्यवस्था केवल भारतीय संविधान में ही नहीं, अपितू संसार के अन्य संविधानों में भी की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान आदि दे ाों के संविधानों में भी इनका वर्णन किया गया है।

अधिकार के कई स्वरूप होते है, जिनमें मौलिक अधिकार भी एक प्रमुख स्वरूप है, इन्हे मौलिक अधिकार कहने के पीछे कई कारण है– इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रूक जाएगा, दूसरे,– मौलिक अधिकार साधारणतः अनुउल्लघंनीय होते है, अर्थात विधानमण्डल, कार्यपालिका अथवा सतारूढ़ दल द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अंत में मौलिक अधिकार न्याय संगत होते है, अर्थात न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकती है[1]।

भारत में मौलिक अधिकारों की मांगः–

भारतीयों द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग ब्रिटि ा भारत में भी की गई थी, सर्वप्रथम, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की घोशणा की गई। नेहरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी, 1933 में

साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

ब्रिटि ा सरकार के सामने कांग्रेस ने आर्थिक स्वतन्त्रता पर बल देते हुए मौलिक अधिकारों की मांग की, परन्तु इन मांगों का ब्रिटि ा सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वह इन अधिकारों के खिलाफ थी।

ब्रिटि ा प्रधानमंत्री रैम्जे मैक डोनल्ड के द्वारा गोलमेज सम्मेलन 1931 के समय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार पर विचार करने की बात कही गई थी, लार्ड रीडिंग और जान साइमन ने संविधान में मौलिक अधिकार के उल्लेख का प्रबल विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार अधिनियम् 1935 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन द्वितीय वि व युद्ध की स्थिति ने मौलिक अधिकारों की मान्यता को बल मिला और अन्ततः ब्रिटि ा सरकार को भारत के भावी संविधान में मौलिक अधिकारों को लिपिबद्ध करने की आव यकता को स्वीकार करना ही पड़ा। स्पश्ट है कि कैबिनेट मि ान, 1946 ने इस सम्बन्ध में सकारात्मक रूख का परिचय दिया[2]।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरणः– भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14–32 तक किया गया है।

1. समानता का अधिकार (अनु0 14–18)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु0 19–22)
3. भाोशण के विरूद्ध अधिकार (अनु0 23–24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 25–28)
5. सांस्कृतिक तथा ि ाक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु0 29–30)

साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु0 32)

44वें सं ोधन से पहले मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणीयों में बांटा गया था। परन्तु 44वें सं ोधन के द्वारा सम्पति के अधिकार को (अनुच्छेद 31) मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकाल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है[3]।

समानता का अधिकार 14–18

समानता का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। नागरिकों को निम्नलिखित समानता प्रदान की गई है–

i. **कानून के समक्ष समानता का अधिकार– अनु0 14:–** संविधान के अनुच्छेद–14 के अनुसार कानून की दृश्टि में सभी व्यक्ति समान है और किसी को कोई वि ोशाधिकार प्राप्त नहीं है। दे ा में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

ii. **कानून के समान संरक्षणः–** कानून के समान संरक्षण से अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से कर लगाया जाएगा। उदाहरणस्वरूप सरकार कर लगाने आदि के मामले में धनी तथा निर्धनों में आव यक रूप से भेदभाव कर सकती है। वह धनी व्यक्तियों पर कर लगा सकती है और निर्धन व्यक्तियों को उससे छूट दे सकती है।

iii. **भेदभाव की मनाही–अनु0 15 :–** अनुच्छेद 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति,

साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

लिंग अथवा जन्म–स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और इसमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, होटलो, कुओं, तालाबों स्नानगृहों तथा मनोरंजन के अन्य स्थानों पर प्रवे ा करने पर किसी प्रकार की रूकावट नहीं होगी। परन्तु यदि सरकार स्त्रियों, बच्चों या पिछड़ी हुई जातियों के सदस्यों के लिए कोई वि ोश नियम बनाती है, तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा।

iv. सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर– अनुच्छेद 16ः– अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर प्राप्त होगें और इस संबन्ध में केवल धर्म, वं ा, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। परन्तु सरकार इस अनुच्छेद की धारा 4 के अन्तर्गत पिछड़ी श्रेणी के लिए के लिए नौकरियों में आरक्षण रख सकती है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित, जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्ग भाामिल है[4]।

अनुच्छेद 16, धारा 4–ए, के अन्तर्गत सरकार अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति (Promotion) के सम्बन्ध भी स्थान आरक्षित रख सकती है। वर्तमान समय में 15 प्रति ात पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5 प्रति ात पद जनजातियों के लिए आरक्षित रखे गए है। इसके अतिरिक्त मण्डल आयोग की सिफारि ा के अनुसार सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में 27 प्रति ात पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए है। सर्वोच्च न्यायलय के आदे ाानुसार कुल उपबन्ध वर्गों में से 50 प्रति ात के अधिक पद आरक्षित नहीं रखे जा सकते।

साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

छुआछूत की समाप्ति–अनु0 17:– अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सन् 1955 में संसद के द्वारा (अस्पृ यता अपराध अधिनियम) पास किया गया, जो समस्त भारत पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार से छुआछूत का प्रयोग करता है या प्रचार करता है तो कानून के अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

उपाधियों का अन्त– अनु018:– अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य सैनिक अथवा ि ाक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान करेगी। भारत का कोई भी नागरिक राश्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदे ाी राज्य द्वारा दी गई किसी उपाधि अथवा पदवी को ग्रहण नहीं कर सकता। ब्रिटि ा राज्य द्वारा दी गई किसी उपाधि अथवा पदवी को ग्रहण नहीं कर सकता। ब्रिटि ा भाासनकाल में 'सर', 'राय साहब', 'राय बहादुर', 'राय साहब' 'खान साहब' आदि उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में असमानता उत्पन्न करती थी[5]।

स्वतन्त्रता का अधिकार–अनुच्छेद–19–22

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19–22 तक स्वतन्त्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को सात स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी, जिनमें से 1978 में 44वे सं ाोधन द्वारा ' सम्पति की स्वतन्त्रता' के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। (अनुच्छेद 300क)। इस प्रकार इस अनुच्छेद में नागरिकों को छहः स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई है जो इस प्रकार हैः–

साहित्यसंहिता
Available at http://sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

i. भाशण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (क) में भारत के सभी नागरिकों को भाशण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रैस की स्वतन्त्रता भी भाामिल है।

ii. भाान्तिपूर्ण तथा बिना भास्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अनुसार सभी नागरिकों को बिना हथियार के भाान्तिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने, सभा करने तथा जुलूस निकालने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

परन्तु अनुच्छेद 19 (3) के अन्तर्गत इस स्वतन्त्रता पर राज्य उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। सार्वजानिक भाांति और व्यवस्था, भारत की अखंण्डता और सुरक्षा की दृश्टि से इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। धारा 144 का लगाया जाना इसी प्रतिबन्ध का उदाहरण है।

iii. संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अनुसार सभी नागरिकों को संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

परन्तु अनुच्छेद 19 (4) के अनुसार कोई भी समुदाय या संघ ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जिससे दे ा की अखण्डता व सुरक्षा को खतरा पैदा हो, जो भाांति व्यवस्था में बाधक बने।

iv. भारत के किसी भी क्षेत्र में आने–जाने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (घ) के अनुसार सभी नागरिकों को भारत के समस्त क्षेत्र में घूमने–फिरने और आने–जाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

परन्तु अनुच्छेद 19 (5) के अन्तर्गत सार्वजनिक भाान्ति, सुरक्षा, व्यवस्था तथा अनुसूचित कबीलों के हितों की दृश्टि से उचित सीमा लगाई जा सकती है।

v. भारत के किसी भाग में रहने और निवास करने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (ड़) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किस भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है।

परन्तु अनुच्छेद 19 (5) के अन्तर्गत राज्य सार्वजनिक हित के आधार पर इस स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

vi. कोई भी व्यवसाय करने, पे ाा अपनाने या व्यापार करने की स्वतन्त्रताः– अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अनुसार भारतीय नागरिको को अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय, पे ाा या व्यापार करने की स्वतन्त्रता है।

परन्तु अनुच्छेद 19 (6) के अन्तर्गत इस स्वतन्त्रता पर भी उचित प्रतिबन्ध है। सरकार जन–हित में किसी भी व्यापार, काम–धन्धे और व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। अनैतिक व्यापार, वे यावृति पर प्रतिबन्ध लगा सकती है[6]।

दण्ड के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20):– संविधान के अनुच्छेद20 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक उसे तब तक दण्ड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने कानून का उल्लघन न किया जो। इस सम्बन्ध में व्यक्ति को निम्न संरक्षण प्रदान किया गया है:–

(क) किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

(ख) किसी व्यक्ति को स्वंय के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकारः– संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उल्लंघन केवल कानून द्वारा निर्धारित ढंग के अनुसार ही किया जा सकता है। यह स्वतन्त्रता नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है।

ि ाक्षा का अधिकारः– संविधान में एक नया अनुच्छेद (21ए) को जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य 6 से 14 वर्श की आयु के समस्त बच्चों को निः ुल्क और अनिवार्य ि ाक्षा उपलब्ध करवाएगा। यह अनुच्छेद 86वें संविधान सं ोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है।

बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 22):– संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा गिरफ्तारी एवं बन्दीकरण की अवस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षाएं प्रदान की गई हैः–

(क) किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने पे ा करना होगा।

(ग) बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बन्दी को जेल में नहीं रखा जा सकता।

(घ) बन्दी को कानूनी सलाह लेने का पूरा अधिकार है।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

परन्तु इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था भी की गई है कि यह दो प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता–

प्रथम, जो दे ा का भात्रु है।

दूसरा, जो व्यक्ति निवारक नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया हो।

निवारक नजरबन्दी कानूनः– निवारक नजरबन्दी का अर्थ यह है कि इसमें किसी व्यक्ति को अपराध पर दण्ड नहीं बल्कि ऐसा करने से पहले ही उसे जेल में बन्द कर देना है। इसमें सन्देह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाया जा सकता है[7]।

भोशण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय–विक्रय तथा बेगार तथा किसी जबरदस्ती काम करवाने की मनाही कर दी गई है।

संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्श से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी कारखानें, खान या अन्य किसी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता। परन्तु राज्य सार्वजनिक कल्याण हेतू अपने नागरिकों को राश्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य कर सकता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

(**i**) अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उनका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। परन्तु सार्वजनिक हित में किसी भी धार्मिक आचरण से सम्बन्धित, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य किसी प्रकार से धार्मिक क्रियाओं का नियन्त्रण कर सकता है। इस

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी प्राप्त है।

(**ii**) अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रबन्ध करने तथा इनके लिए चल–अचल सम्पति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(**iii**) अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी वि ोश धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चन्दा अथवा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों हेतु किसी धर्म वि ोश द्वारा लिये गए धन से टैक्स की अदायगी से छूट प्रदान की गई है।

(**iv**) अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा स्थापित किसी भी ि ाक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक ि ाक्षा नहीं दी जा सकती और जो ि ाक्षा संस्थाएं सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं। किसी भी विद्यालय में उसकी इच्छा के विरूद्ध धार्मिक ि ाक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सांस्कृतिक तथा ि ाक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

(**i**) अनुच्छेद 29 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी वि ोश भाशा, लिपि तथा संस्कृति है उन्हे बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है किसी भी राजकीय अथवा राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली ि ाक्षा संस्था में किसी भी विद्यार्थी को केवल धर्म, जाति अथवा भाशा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

(**II**) अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाशा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों के वर्गों को अपनी ईच्छानुसार ि ाक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही ि ाक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी ि ाक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह ि ाक्षा संस्था धर्म अथवा भाशा पर आधारित है[8]।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद – 32)

अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों को यह अधिकार है कि यदि कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो वे सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दाखिल कर सकता है साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायल की भारण ले सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायलय निम्नलिखित प्रलेख जारी करता है–

(**i**) **बन्दी पृत्यक्षीकरण लेखः–** व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए यह लेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस लेख द्वारा न्यायलय बन्दी बनाने वाले अधिकारी को यह आदे ा देता है कि बन्दी बनाए गए व्यक्ति को न्यायलय के सामने पे ा करे, जिससे न्यायलय यह निर्णय कर सके कि व्यक्ति को बन्दी बनाए जाने के कारण वैध है या अवैध। यदि न्यायलय यह घोशित कर दे कि बन्दी बनाए जाने के कारण अवैध है, तो न्यायलय व्यक्ति को तुरन्त मुक्त करने का आदे ा देता है।

(**II**) **परमादे ा लेखः–** इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायलय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व को पूरा करने का आदे ा देता है।

(**iii**) **प्रतिशेध लेखः–** इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायलय अपने अधीन न्यायलयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

(**iv**) **उत्प्रेशण लेखः–** इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायलय किसी छोटे न्यायलय के किसी मुकद्में को अपने पास अथवा किसी उच्च न्यायलय में भेजने का आदे ा दे सकता है।

(**v**) **अधिकार पृच्छा लेखः–** यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से सरकारी पद को ग्रहण करने का प्रयत्न करे। इस लेख के द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाता है[9]।

अलोचनात्मक मूल्यांकनः हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न, प्रजातन्त्रीय गणराज्य, घोशित किया है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही भारतीय संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके अध्यन्न से स्पश्ट है कि व्यवस्था में कुछ दोश पाएं जाते हैं। विद्धवानों ने इन दोशों को देखते हुए यहां तक कह दिया कि मौलिक अधिकार नामक भाग को "मौलिक अधिकर तथा उनकी सीमाएं" नाम दे दिया जाए। मौलिक अधिकारों के विशय में यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान एक हाथ से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा दूसरे हाथ से इन्हे छीन लेता है। उदाहरण स्वरूप जब राश्ट्रपति के द्वारा दे ा में संकटकालीन स्थिति की घोशणा कर दी जाती है तो हमारे अनेक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन अधिकारों के उल्लंधन के लिए नागरिकों द्वारा न्याय की मांग नहीं की जा सकती[10]। मौलिक अधिकारों के होते हुए भी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव अभी भी जारी है और खुलेआम इनका प्रयोग हो रहा है। यधपि संविधान में लिंग की समानता की घोशणा की गई है। फिर भी महिलाओं पर पुरूशों का वर्चस्व बना हुआ है। अस्पृ यता का उन्मूलन एक मौलिक

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

अधिकार है लेकिन स्वतंत्रता के 68 वर्श प चात भी अछूतों के साथ भेदभाव हो रहा है। मौलिक अधिकार द्वारा जबरदस्ती काम करवाना मनाही की गई है। लेकिन राज्य भी स्वीकार करता है कि आज भी यह प्रथा प्रचलित है[11]।

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हुए भी समाज में न्याय प्राप्ति का व्यापक साधन नहीं बन पाए हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मौलिक अधिकार अर्थहीन है।

संदर्भ सूचीः–

1. राजे ा चहल, *भारत का संविधान नये संदर्भ,* के.के पब्लिके ान नई दिल्ली, 2014, पृ0 27।
2. पायली, *भारतीय संविधान,* रणजीत प्रिंटरस एण्ड पब्लिस र्, दिल्ली, 1971 पृ0 72।
3. ए.एस. नांरग, *भारतीय भासन और राजनीति,* गीताजंली पब्लि ािंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998, पृ0 33–34।
4. *वही,* पृ0 36–37।
5. राजे ा चहल, *पूर्वद्वतः,* पृ0 28–29।
6. दुर्गा दास बसु, *भारत का संविधानः एक परिचय,* लिक्स–निक्स, बटर वर्थस, गुड़गांव, पृ0 85–86।
7. राजे ा चहल, *पूर्वद्वतः* पृ0 31–32।
8. दुर्गा दास बसु, *पूर्वद्वतः* पृ0 118–134।
9. राजे ा चहल , *पूर्वद्वतः* पृ0 34–35।
10. ए.एस नांरग, *पूर्वद्वतः* पृ0 50।
11- *वही,* पृ0 50।